



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली - 110 001

फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 116/टीएल/2024

दिनांक: 3.5.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

बिदर ट्रांसमिशन लिमिटेड, (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्णतः स्वामित्व वाली समनुषंगी), बी-9, कूतब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110 016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "बिदर (2500 मेगावाट), कर्नाटक में सौर ऊर्जा जोन के लिए पारेषण योजना" स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से माह में अनुसूचित सीओडी
1.	765 केवी (1x240 एमवीएआर) और 400 केवी (1x125 एमवीएआर) बस रिएक्टर के साथ बिदर के समीप उपयुक्त बॉर्डर स्थान पर 3x1500 एमवीए (765/400 केवी), 5x500 एमवीए (400/220 केवी) स्टेशन की स्थापना क. 765 केवी i) आईसीटी: 10x500 एमवीए, 765/400 केवी (तीन किनारों (बैंक्स) के लिए सामान्य स्पेयर के रूप में 1x500 एमवीए, 765/400 केवी ट्रांसफार्मर सहित) ii) आईसीटी बे: 3 नंबर iii) लाइन बे: 2 नंबर iv) बस रिएक्टर: 3x80 एमवीएआर (240 एमवीएआर का एक किनारा (बैंक)) v) स्पेयर रिएक्टर: 6x80 एमवीएआर (प्रत्येक 240 एमवीएआर के लिए दो किनारे (बैंक्स)) vi) स्पेयर रिएक्टर: 1x80 एमवीएआर (बस रिएक्टर एवं लाइन रिएक्टर के किनारों (बैंक्स) के लिए सामान्य स्पेयर यूनिट) vii) बस रिएक्टर बे: 1 नंबर viii) स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट: 2 नंबर ix) संबद्ध बे के साथ भावी 765/400 केवी आईसीटी के लिए स्थान: 1 नंबर x) संबद्ध बे के साथ भावी 765 केवी आईसीटी के लिए स्थान: 1 नंबर xi) एसएलआर के साथ अतिरिक्त भावी लाइन बे के लिए स्थान: 8 नंबर xii) संबद्ध 765 केवी बे के साथ अतिरिक्त भावी 765/400 केवी आईसीटी के लिए स्थान: 2 नंबर ख. 400 केवी i) आईसीटी: 5x500 एमवीए, 400/220 केवी ii) आईसीटी बे: 8 नंबर (765/400 केवी के लिए 3 नंबर और 400/220 केवी के लिए 5 नंबर) iii) बस रिएक्टर: 1x125 एमवीएआर, 420 केवी iv) बस रिएक्टर बे: 1 नंबर v) भावी लाइन बे के लिए स्थान: 8 नंबर vi) भावी 765/400 केवी आईसीटी बे के लिए स्थान: 1 नंबर vii) संबद्ध बे के साथ भावी 400/220 केवी आईसीटी के लिए स्थान: 2 नंबर viii) एसएलआर के साथ अतिरिक्त भावी लाइन बे के लिए स्थान: 2	24 मास
2.	बिदर पीएस - महेश्वरम् (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन	
3.	बिदर पीएस-महेश्वरम् (पीजी) जीआईएस 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए महेश्वरम् (पीजी) जीआईएस सबस्टेशन पर 765 केवी जीआईएस लाइन बे के 2 नंबर	
4.	बिदर पीएस - महेश्वरम् (पीजी) जीआईएस 765 केवी डी/सी लाइन के बिदर पीएस छोर [उपयुक्त क. v), vi] एवं viii) के अनुसार, एवं महेश्वरम् छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 765 केवी, 1x240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर	

नोट:

- पावरग्रिड, बिदर पीएस महेश्वरम् (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए महेश्वरम् (पीजी) सबस्टेशन पर 240 एमवीएआर एसएलआर के लिए प्रावधान के साथ 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 15.3.2024 के अन्वये पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को प्रस्तावित अनुज्ञापति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 116/टीएल/2024 में दिनांक 30.4.2024 के आदेश द्वारा उपयुक्त पैरा 1 में यथोक्ति पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञापति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- बिदर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रती को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञापति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 20.5.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 22.5.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह पृथ्वी)
सचिव